# भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0–टी0 ए0 मिस वाद सं0– 73A/2019–20

केस का प्रकार–(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

तपन सरदार ................................आवेदक / विक्रेता

बनाम

सुहागी सोरेन.................................क्रेता

| दिनांक | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | अभ्युक्ति |
|---|---|---|

20-02-2020

विक्रेता :– तपन सरदार पिता स्व0 कालि सरदार उर्फ कालिपद सरदार, ग्राम–कमलपुर, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड), जाति–भूमिज।

क्रेता :– श्रीमति सुहागी सोरेन पति श्री राजु सोरेन, ग्राम–जिलिंगगोड़ा, थाना–गम्हरिया जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड), जाति–संथाल।

विक्रेता द्वारा दिनांक 28.09.2019 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता श्रीमति सुहागी सोरेन पति श्री राजु सोरेन, ग्राम–जिलिंगगोड़ा, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: भूमि का विवरण ::

| मौजा | थाना /थाना नं0 | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| कमलपुर | गम्हरिया/2 | 37 | 128 | 0.22एकड़ |

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गम्हरिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, गम्हरिया का पत्रांक 70 दिनांक 03.02.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पिता एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है।
2. प्रस्तावित भूमि का लगान वर्ष 2019–20 तक अद्यतन है।
3. बिक्रेता अपने पिता के मृत्यु पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
4. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा–2.14 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
5. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहता है।
6. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जाति–'भूमिज' एवं 'संथाल' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है।

लगातार.....................2

Scanned with CamScanner

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, गम्हरिया ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता तपन सरदार पिता स्व0 कालि सरदार उर्फ कालिपद सरदार, ग्राम–कमलपुर, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता श्रीमति सुहागी सोरेन पति श्री राजु सोरेन, ग्राम–जिलिंगगोड़ा, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–0.22एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

20/02/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner